हफ़्तावार रिसाला : 421
Weekly Booklet : 421

Aayate Sajda Ke Fazail aur 60 Masail (Hindi)

आयते सज्दा के फ़ज़ाइल और 60 मसाइल

सफ़हात : 27

- आयते सज्दा को आयते सज्दा क्यूं कहते हैं ? 03
- सज्दए तिलावत का त़रीक़ा 10
- चैनल पर आयते सज्दा सुनने का हुक्म 22
- ह़ाफ़िज़ सज्दए तिलावत बताना भूल जाए तो ? 25

MAKTABATUL MADINA INDIA

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

आयते सज्दा के फ़ज़ाइल और 60 मसाइल

दुआए अत्तार : या अल्लाह पाक ! जो कोई 27 सफ़हात का रिसाला "आयते सज्दा के फ़ज़ाइल और 60 मसाइल" पढ़ या सुन ले उसे सज्दों की लज़्ज़तें नसीब फ़रमा और उस की मां बाप समेत बे हिसाब मग़्फ़िरत कर के उसे जन्नतुल फ़िरदौस में दाख़िला नसीब फ़रमा। اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صلّی اللہُ علیہِ واٰلہٖ وسلّم

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

फ़रमाने आख़िरी नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **:** जिस ने दिन और रात में मेरी तरफ़ शौक़ और महब्बत की वज्ह से तीन तीन मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा **अल्लाह** पाक पर ह़क़ है कि वोह उस के उस दिन और उस रात के गुनाह बख़्श दे।

(معجم کبیر، 18/361، حدیث:928)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

राहिबों का क़बूले इस्लाम

ह़ज़रते शैख़ अबू मदयन رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ बुलन्द मरतबा अबदाल (यानी औलिया उल्लाह में से) थे। आप رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ उन्दलुस की जामेअ मस्जिद ख़िज़्र में नमाज़े फ़ज्र के बाद बयान फ़रमाया करते थे। एक मरतबा चन्द राहिब (यानी ग़ैर मुस्लिम) भी इम्तिह़ानन मुसलमानों के लिबास पहन कर मस्जिद में लोगों के साथ आ कर बैठ गए, जब आप رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ बयान शुरूअ करने लगे तो थोड़ी देर के लिये ख़ामोश हो गए फिर एक दर्ज़ी ह़ाज़िर हुवा, आप رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ ने पूछा इतनी देर क्यूं लगा दी ? उस ने अर्ज़ की : हुज़ूर ! आप के हुक्म पर रात को टोपियां बनाते

हुए देर हो गई, आप رَحْمَةُاللّٰہِ عَلَیْہ ने उस से टोपियां लीं और खड़े हो कर सब रहिबों (यानी ग़ैर मुस्लिमों) को पहना दीं, लोगों को इस से बड़ा तअज्जुब हुवा लेकिन मुआमला अभी तक वाज़ेह़ न हुवा था फिर आप رَحْمَةُاللّٰہِ عَلَیْہ ने बयान शुरूअ कर दिया, जिस में येह जुम्ला भी फ़रमाया : ऐ फ़ुक़रा ! जब **अल्लाह** पाक की त़रफ़ से तौफ़ीक़ की हवाएं सआदतमन्द दिलों पर चलती हैं तो वोह हर रौशनी को बुझा देती हैं फिर आप رَحْمَةُاللّٰہِ عَلَیْہ ने सांस लिया जिस से मस्जिद की तक़रीबन तीस (30) क़िन्दीलें बुझ गईं फिर आप رَحْمَةُاللّٰہِ عَلَیْہ ने अपना सर उठा कर फ़रमाया : **अल्लाह** पाक के सिवा कोई इबादत के लाइक़ नहीं, ऐ फ़ुक़रा ! जब इनायत के अन्वार मुर्दा दिलों पर रौशनी करते हैं तो वोह राह़त व सुकून से ज़िन्दगी बसर करते हैं और हर ज़ुल्मत उन के लिये रौशन हो जाती है फिर आप رَحْمَةُاللّٰہِ عَلَیْہ ने सांस लिया तो तमाम क़िन्दीलों की रौशनी लौट आई, इस के बाद आप رَحْمَةُاللّٰہِ عَلَیْہ ने एक आयते सज्दा की तफ़्सीर बयान करते हुए जब सज्दा किया और लोगों ने भी सज्दा किया तो राहिब भी रुस्वाई के ख़ौफ़ से लोगों के साथ सज्दे में गिर गए, आप رَحْمَةُاللّٰہِ عَلَیْہ ने सज्दे में यूं दुआ की : "या **अल्लाह** ! तू अपनी मख़्लूक़ की तदबीर और अपने बन्दों की मस्लह़त बेहतर जानता है, येह राहिब मुसलमानों के लिबास में मुसलमानों के साथ तेरी बारगाह में सज्दा किये हुए हैं, मैं ने इन के ज़ाहिर को तब्दील कर दिया, इन के बात़िन को तब्दील करने पर तेरे सिवा कोई क़ादिर नहीं, मैं ने उन्हें तेरे दस्तरख़्वाने करम पर बिठा दया है, तो इन को कुफ़्र के अन्धेरे से निकाल कर ईमान के नूर में दाख़िल फ़रमा दे।" राहिबों ने अभी सर सज्दे से न उठाए थे कि उन से कुफ़्रो शिर्क की नापाकी दूर हो गई और वोह इस्लाम में दाख़िल हो गए। (الروض الفائق، ص163)

दुआए वली में वोह तासीर देखी बदलती हज़ारों की तक़्दीर देखी

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! आप ने **अल्लाह** पाक के वली की शान देखी ? जिन्हों ने **अल्लाह** पाक की अ़ता से ग़ैर मुस्लिमों को मुसलमानों के लिबास में देख कर न सिर्फ़ पहचान लिया बल्कि उन्हें अपनी दुआ की बरकत से दाएरए इस्लाम में दाख़िल भी कर लिया। **अल्लाह** पाक की उन पर रह़मत हो और उन के सदक़े हमारी बे ह़िसाब मग़्फ़िरत हो। اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صلّی اللہُ علیہِ واٰلہٖ وسلّم

इस वाक़िए में आयते सज्दा का ज़िक्र हुवा, आइये ! आयते सज्दा के बारे में मुफ़ीद मालूमात और इस के फ़ज़ाइलो मसाइल पढ़ते हैं :

आयते सज्दा को आयते सज्दा क्यूं कहते हैं ?

आयते सज्दा की तिलावत करने से बल्कि इस के सज्दे वाले जुज़ को सुनने या पढ़ने से सज्दा वाजिब हो जाता है इसी वज्ह से इस को आयते सज्दा और इस सज्दे को सज्दए तिलावत कहते हैं।

(बहारे शरीअत, 1/728, ह़िस्सा : 4 मुलख़्ख़सन)

आयते सज्दा से कुफ़्फ़ार को नसीह़त

अल्लाह पाक क़ुरआने करीम के पारह 30, सूरतुल इन्शिक़ाक़ की आयत नम्बर 21 में इरशाद फ़रमाता है : ﴿ وَ اِذَا قُرِئَ عَلَیْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا یَسْجُدُوْنَ ﴾[1] (پ30،الانشقاق:21) तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : “और जब क़ुरआन पढ़ा जाए सज्दा नहीं करते।”[2]

शाने नुज़ूल : जब “सूरए इक़रा” में आयत وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ नाज़िल हुई तो रसूले करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने येह आयत पढ़ कर सज्दा किया, मोमिनीन

---

1 ...येह आयत और इस के बाद “शाने नुज़ूल” में ज़िक्र होने वाली आयत भी आयाते सज्दा में से है, इन्हें पढ़ने या सुनने वाले पर सज्दए तिलावत वाजिब है।

2 ...इस रिसाले में शामिल तमाम आयात का तर्जमा कन्ज़ुल ईमान शरीफ़ से लिया गया है।

ने भी आप के साथ सज्दा किया अलबत्ता कुफ़्फ़ारे क़ुरैश ने सज्दा न किया तो उन के इस फ़ेल की बुराई में येह आयत ﴿وَ اِذَا قُرِئَ عَلَیْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا یَسْجُدُوْنَ﴾ नाज़िल हुई और फ़रमाया गया कि जब कुफ़्फ़ार के सामने क़ुरआन पढ़ा जाता है तो वोह सज्दए तिलावत नहीं करते। (تفسیراتِ احمدیہ، اَلِانْشِقَاق، تحتَ الآیۃ:21، ص738)

मुफ़स्सिरे क़ुरआन इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : "कुफ़्फ़ार चूंकि इन्तिहाई फ़सीह़ो बलीग़ थे इस लिये क़ुरआने करीम सुनने के बाद उन के पास इस के इलावा और कोई चारह न था कि वोह क़ुरआने करीम को अपनी मिस्ल लाने से आजिज़ कर देने वाला मान लें, जब उन्हों ने नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की नुबुव्वत दुरुस्त होने और अह़कामात और मनअ किये जाने वाले कामों में उन की इत़ाअत वाजिब होने को जान लिया तो (उन पर लाज़िम था कि वोह नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم पर ईमान लाएं और उन की इत़ाअत करें चूंकि कुफ़्फ़ार ने ऐसा नहीं किया इस लिये) क़ुरआन सुन कर सज्दा न करने पर **अल्लाह** पाक का उन की मज़म्मत करना ह़क़ है।" (تفسیر کبیر، پ30، الانشقاق، تحت الآیۃ:21، 11/104)

इस आयत से साबित हुवा कि सज्दए तिलावत की आयत सुनने वाले पर सज्दए तिलावत करना वाजिब है और ह़दीस से साबित है कि वोह आयत पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों पर सज्दए तिलावत वाजिब हो जाता है।

(تفسیر صراط الجنان، پ30، الانشقاق، تحت الآیۃ:21، 10/594)

तिलावत के सज्दों की वज्ह

ह़ज़रते अल्लामा अली बिन सुल्त़ान मुह़म्मद क़ारी ह़नफ़ी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ ने अल्लामा इमाम इब्ने ह़जर अस्क़लानी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ के ह़वाले से बयान किया है : क़ुरआने मजीद में जो चौदह सज्दे हैं उन के अस्बाब येह हैं : (1) बाज़ जगहों पर सज्दा करने वालों की तारीफ़ की गई है। (2) बाज़ जगहों पर सज्दे से इन्कार करने

वालों की बुराई बयान की गई है। (3) बाज़ जगहों पर सज्दों का हुक्म दिया गया है और (4) बाज़ जगहों पर सज्दे करने पर उभारा गया है। (مرقاۃ المفاتیح،2/809)

भीड़ लग जाती

सहाबिये रसूल ह़ज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا फ़रमाते हैं : नबिय्ये पाक صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم आयते सज्दा पढ़ते, हम आप के पास होते तो हम आप के साथ सज्दा करते, भीड़ लग जाती ह़त्ता कि हम में कोई अपनी पेशानी के लिये जगह न पाता कि जिस पर सज्दा करे। (بخاری،1/370،حدیث:1079)

ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہ लिखते हैं : आयते सज्दा पढ़ने से भी (सज्दा) वाजिब होता है और सुनने से भी और येह कि सज्दा बड़ा अहम है कि सह़ाबए किराम भीड़ लगा कर येह सज्दा किया करते थे।

(मिरआतुल मनाजीह़, 2/152)

शैत़ान रोता हुवा भाग खड़ा होता है

सज्दा करने वाले को देख कर शैत़ान सदमे से चूर हो जाता है कि अफ़्सोस ! सज्दे की बरकत से येह तो जन्नत में चला जाएगा और मैं जहन्नम में जा पड़ूंगा ! इस सिल्सिले में सरकारे मदीना صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का फ़रमाने आलीशान है : “जब इन्सान सज्दे की आयत पढ़ कर सज्दा करता है तो शैत़ान रोता हुवा भागता है और कहता है : अफ़्सोस ! इन्सान को सज्दे का हुक्म हुवा, इस ने सज्दा कर लिया और इस को जन्नत मिली, मुझे सज्दे का हुक्म हुवा, मैं ने इन्कार किया और मुझे जहन्नम मिली।” (مسلم،ص58،حدیث:244)

यहां कौन सा सज्दा मुराद है ?

ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नईमी رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہ इस ह़दीसे पाक के तह़त फ़रमाते हैं : इन्सान को सज्दए तिलावत करता देख कर शैत़ान ह़सरत करता हुवा

वहां से भागता है चूंकि येह सज्दा सज्दए नमाज़ के इलावा है और शैत़ान ने जिस सज्दे का इन्कार किया था वोह भी सज्दए नमाज़ के इलावा था, इस लिये उसे येह (यानी तिलावत का) सज्दा देख कर ह़सरत होती है न कि सज्दए नमाज़ देख कर क्यूंकि नमाज़ के सज्दे तो ख़ुद भी करता रहा है। (मिरआतुल मनाजीह़, 2/83)

शहज़ादए आला ह़ज़रत, मुफ़्तिये आज़म हिन्द मौलाना मुस्त़फ़ा रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه लिखते हैं :

ह़ज़रते इन्सां क़िब्ला बना वासित़ा येह उस नूर का था
पेशे सफ़ियुल्लाह किया सारे फ़रिश्तों ने सज्दा

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه اٰمَنَّا بِرَسُوْلِ اللّٰه

(सामाने बख़्शिश, स. 44)

दरख़्त ने आयते सज्दा पर सज्दा किया

ह़ज़रते अब्दुर्रह़मान बिन ह़रमला رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه बयान करते हैं कि मैं ने (ताबेई बुज़ुर्ग) ह़ज़रते सईद बिन मुसय्यब رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه की नमाज़ और दिन के आमाल को अच्छी त़रह़ याद कर लिया था। रात के आमाल के मुतअल्लिक़ मैं ने उन के ग़ुलाम से दरयाफ़्त किया तो उस ने बताया कि ह़ज़रते सईद बिन मुसय्यब رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه हर रात सूरए صٓ وَالْقُرْاٰنِ तिलावत करते थे। मैं ने ख़ुसूसी त़ौर पर येह सूरत पढ़ने की वज्ह पूछी तो फ़रमाया "एक बार किसी अन्सारी ने एक दरख़्त के क़रीब इस सूरत की तिलावत की जब आयते सज्दा पर पहुंच कर सज्दा किया तो दरख़्त ने भी सज्दा किया। अन्सारी ने दरख़्त से येह आवाज़ सुनी : ऐ **अल्लाह** पाक ! मुझे इस सज्दे के इवज़ अज्र अत़ा फ़रमा, मुझ से गुनाहों का बोझ उतार दे, मुझे शुक्र की नेमत से नवाज़ और मेरे इस सज्दे को क़बूल फ़रमा जैसे तू ने अपने बन्दए ख़ास ह़ज़रते दाऊद عَلَيْهِ السَّلَام के सज्दे को शरफ़े क़बूलिय्यत से नवाज़ा।"

(حلیۃ الاولیاء، 2/188، حدیث: 1886)

रात में सज्दए तिलावत और दुआए मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

तमाम मुसलमानों की अम्मीजान ह़ज़रते बीबी आइशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللہُ عَنْہَا रिवायत करती हैं कि नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم रात में क़ुरआनी सज्दों में पढ़ते थे سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ यानी मेरी ज़ात ने उसे सज्दा किया जिस ने उसे पैदा किया और उस के कान और आंख अपनी त़ाक़तो क़ुव्वत से चीरे। (ترمذی،2/97،حدیث:580)

नमाज़ में सज्दए तिलावत आए तो क्या पढ़ें ?

अगर सज्दए तिलावत नमाज़ में किया है और नमाज़ फ़र्ज़ है तो इस में سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی पढ़े और अगर नफ़्ल नमाज़ में सज्दा किया तो चाहे येह पढ़े या वोह दुआएं जो अह़ादीसे मुबारका में आई हैं वोह पढ़ें। मसलन اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ, وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَلَكَ اَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ، وَصَوَّرَهٗ، وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ، تَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ "तर्जमा : इलाही तेरे लिये मैं ने सज्दा किया, तुझ पर ईमान लाया, तेरा मुत़ीअ हुवा, मेरी ज़ात ने उसे सज्दा किया जिस ने इसे पैदा किया, इसे सूरत बख़्शी और इस के कान और आंखें चीरीं, बरकत वाला है **अल्लाह** बेहतरीन पैदा करने वाला।" (مسلم،ص304،حدیث:1812)

या येह पढ़ें : اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ عِنْدَكَ بِهَا اَجْرًا وَّ ضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَّ اجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَّ تَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوٗدَ तर्जमा : **ऐ अल्लाह** (पाक) ! इस सज्दे की वज्ह से तू अपने नज़दीक मेरे लिये सवाब लिख दे और मुझ से गुनाहों के बोझ को दूर फ़रमा और उस सवाब को अपने पास मेरे लिये ज़ख़ीरा फ़रमा और इसे मुझ से क़बूल फ़रमा जैसे तू ने अपने बन्दे ह़ज़रते दाऊद عَلَيْهِ السَّلَام से क़बूल फ़रमाया। (شرح جامع ترمذی،4/396) ह़ज़रते अल्लामा इब्नुल मलिक رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ने फ़रमाया कि सज्दए तिलावत में येह दुआ पढ़ना मस्नून है। (مرقاۃ المفاتیح،3/121) या

येह कहे : ﴿سُبۡحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنۡ كَانَ وَعۡدُ رَبِّنَا لَمَفۡعُوۡلًا ۝۱۰۸﴾ तर्जमा : "पाकी है हमारे रब को बेशक हमारे रब का वादा पूरा होना था।" (پ15، بنیٓ اسرائیل:108)

नमाज़ से बाहर सज्दए तिलावत में क्या पढ़ें ?

अगर बैरूने नमाज़ हो तो चाहे येह (यानी जो दुआएं ऊपर बयान हुईं वोह) पढ़े या सहाबए किराम عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان व ताबेईने उज़्ज़ाम رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِم से जो रिवायात में दुआएं आई हैं वोह पढ़े, मसलन सहाबिये रसूल ह़ज़रते इब्ने उमर رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمَا से मरवी है, वोह सज्दे में येह कहते थे :

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدَ سَوَادِیۡ وَبِكَ اٰمَنَ فُؤَادِیۡ اَللّٰهُمَّ ارۡزُقۡنِیۡ عِلۡمًا یَّنۡفَعُنِیۡ وَعَمَلًا یَّرۡفَعُنِیۡ۔

तर्जमा : **ऐ अल्लाह** पाक ! मेरे जिस्म ने तुझे सज्दा किया और मेरा दिल तुझ पर ईमान लाया। ऐ **अल्लाह** पाक ! तू मुझे नफ़अ देने वाला इल्म और बुलन्दी अ़ता फ़रमाने वाला अमल अ़ता फ़रमा। (شرح جامع ترمذی،4/396)

सज्दए तिलावत में येह आयत पढ़ना भी बेहतर है : ﴿سُبۡحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنۡ كَانَ وَعۡدُ رَبِّنَا لَمَفۡعُوۡلًا ۝۱۰۸﴾ तर्जमा : "पाकी है हमारे रब को बेशक हमारे रब का वादा पूरा होना था।"

क्यूंकि **अल्लाह** पाक ने क़ुरआने करीम में अपने औलिया के बारे में इस दुआ के साथ ख़बर दी है। (فتح القدیر،1/477۔ مرقاۃ المفاتیح،3/120)

शौक़े तिलावत और सज्दए तिलावत

नक़्शबन्दी सिल्सिले के अ़ज़ीम पेशवा ह़ज़रते मुजद्दिदे अल्फ़े सानी رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه सफ़र में तिलावते क़ुरआने करीम फ़रमाते रहते, बसा औक़ात तीन तीन, चार चार पारे भी मुकम्मल फ़रमा लिया करते थे। इस दौरान आयते सज्दा आती तो सुवारी से उतर कर सज्दए तिलावत फ़रमाते। (زُبدۃُ المقامات، ص270 ملخصاً)

अल्लाह पाक की उन पर रह़मत हो और उन के सदक़े हमारी बे ह़िसाब मग़्फ़िरत हो । اٰمِیْن بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

सज्दे से पहले रोओ

सह़ाबी इब्ने सह़ाबी ह़ज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا फ़रमाते हैं : "जब तुम **अल्लाह** पाक के लिये आयते सज्दा तिलावत करो तो सज्दा करने में जल्दी न करो यहां तक कि रोने लगो, अगर तुम में से किसी की आंख न रोए तो उस के दिल को रोना चाहिये ।" (احیاء العلوم، 1/328)

रोने वाली आंखें मांगो, रोना सब का काम नहीं ज़िक्रे मह़ब्बत आम है लेकिन, सोज़े मह़ब्बत आम नहीं

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

सज्दए तिलावत के 60 मसाइल

दीनी मसाइल का शौक़ रखने वालों और सज्दए तिलावत के मुख़्तलिफ़ मसाइल को एक जगह जमअ करने के लिये चन्द अहम कुतुब (फ़तावा रज़विय्या, बहारे शरीअत वग़ैरा) से सज्दए तिलावत के कमो बेश 60 मसाइल कुछ तसहील के साथ पेश किये जाते हैं, इन में से कुछ मसाइल सुवाल जवाब की सूरत में भी हैं, ख़ूब तवज्जोह के साथ मुत़ालआ कीजिये और जो मस्अला समझ में न आए तो अपने क़रीबी किसी आशिक़े रसूल मुफ़्तिये इस्लाम या दारूल इफ़्ता अहले सुन्नत से फ़ोन कर के समझ लीजिये ।

अल्लाह पाक हमें अपनी रिज़ा के लिये इल्मे दीन ह़ासिल करने और दूसरों को सिखाने की तौफ़ीक़ अत़ा फ़रमाए । اٰمِیْن بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

सज्दए तिलावत कब वाजिब होता है ?

﴾1﴿ आयते सज्दा पढ़ने या सुनने से सज्दा वाजिब हो जाता है ।

(बहारे शरीअत, 1/728, ह़िस्सा :4)

﴾2﴿ फ़ारसी या किसी और ज़बान में (भी अगर) आयत का तर्जमा पढ़ा तो पढ़ने वाले और सुनने वाले पर सज्दा वाजिब हो गया, सुनने वाले ने येह समझा हो या नहीं कि आयते सज्दा का तर्जमा है, अलबत्ता येह ज़रूर है कि उसे न मालूम हो तो बता दिया गया हो कि येह आयते सज्दा का तर्जमा था और (सज्दे की) आयत पढ़ी गई हो तो उस की ज़रूरत नहीं कि सुनने वाले को आयते सज्दा होना बताया गया हो। (बहारे शरीअत, 1/730, हिस्सा : 4)

﴾3﴿ पढ़ने में येह शर्त है कि इतनी आवाज़ में हो कि अगर कोई उज़्र न हो तो ख़ुद सुन सके।

﴾4﴿ सुनने वाले के लिये येह ज़रूरी नहीं कि बिल क़स्द (यानी इरादतन) सुनी हो, बिला क़स्द (यानी बिला इरादा) सुनने से भी सज्दा वाजिब हो जाता है।

(बहारे शरीअत, 1/728, हिस्सा : 4)

﴾5﴿ अगर इतनी आवाज़ से आयत पढ़ी कि सुन सकता था मगर शोरो ग़ुल या बहरा होने की वज्ह से न सुनी तो सज्दा वाजिब हो गया और अगर महज़ होंट हिले आवाज़ पैदा न हुई तो वाजिब न हुवा। (बहारे शरीअत, 1/728, हिस्सा : 4)

﴾6﴿ सज्दा वाजिब होने के लिये पूरी आयत पढ़ना ज़रूरी नहीं बल्कि वोह लफ़्ज़ जिस में सज्दे का माद्दा (यानी लफ़्ज़) पाया जाता है और इस के साथ क़ब्ल या बाद का कोई लफ़्ज़ मिला कर पढ़ना काफ़ी है। (बहारे शरीअत, 1/728, हिस्सा : 4)

सज्दए तिलावत का त़रीक़ा

﴾7﴿ सज्दे का मस्नून त़रीक़ा येह है कि खड़ा हो कर اَللّٰهُ اَكْبَرْ कहता हुवा सज्दे में जाए और कम से कम तीन बार سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى कहे फिर اَللّٰهُ اَكْبَرْ कहता हुवा खड़ा हो जाए, पहले पीछे दोनों बार اَللّٰهُ اَكْبَرْ कहना सुन्नत है और खड़े हो कर सज्दे में जाना और सज्दे के बाद खड़ा होना येह दोनों क़ियाम मुस्तहब।

(बहारे शरीअत, 1/731, हिस्सा : 4)

《8》 सज्दए तिलावत के लिये اَللّٰہُ اَکْبَرْ कहते वक़्त न हाथ उठाना है न उस में तशह्हुद (यानी अत्तहि़य्यात) है न सलाम।

(تنویر الابصار مع رد المحتار، 2/700) (बहारे शरीअत, 1 / 733, हि़स्सा : 4)

《9》 उस की निय्यत में येह शर्त़ नहीं कि फ़ुलां आयत का सज्दा है बल्कि मुत़लक़न सज्दए तिलावत की निय्यत काफ़ी है।

(در مختار و ردُّالمحتار، 2/699) (बहारे शरीअत, 1/731, हि़स्सा : 4)

《10》 आयते सज्दा बैरूने नमाज़ (यानी नमाज़ के बाहर) पढ़ी तो फ़ौरन सज्दा कर लेना वाजिब नहीं हां बेहतर है कि फ़ौरन कर ले और वुज़ू हो तो ताख़ीर मकरूहे तन्ज़ीही। (در مختار، 2/703) (बहारे शरीअत, 1/733, हि़स्सा : 4)

इमामे अहले सुन्नत رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه की तरग़ीब

मेरे आक़ा आला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه ने नमाज़ और नमाज़ के इलावा सज्दए तिलावत करने के बारे में "फ़तावा रज़विय्या शरीफ़" में बड़ी प्यारी बात इरशाद फ़रमाई है, इस का ख़ुलासा आसान अन्दाज़ में पेश किया जाता है : नमाज़ में सज्दए तिलावत जिस का नमाज़ में अदा करना वाजिब हो उसे फ़ौरन करना वाजिब है, यहां तक कि दो तीन आयत से ज़ियादा ताख़ीर करना गुनाह है और नमाज़ के इलावा भी सज्दए तिलावत वाजिब होने की सूरत में अफ़्ज़ल और गुनाह से बचने का मह़फ़ूज़ तरीन त़रीक़ा येह है कि फ़ौरन अदा करे जब कि कोई उ़ज़्र न हो, लोग येह ज़ेहन बना लेते हैं कि बाद में कर लेंगे फिर भूल जाते हैं जैसा कि अरबी मुहावरा है : وَفِي التَّاخِيْرِ اٰفَاتٌ (यानी देर करने में नुक़्सानात हैं) इसी लिये उलमाए किराम ने नमाज़ के बाहर सज्दए तिलावत की ताख़ीर को मकरूहे तन्ज़ीही फ़रमाया मगर नाजाइज़ नहीं।

(फ़तावा रज़विय्या, 8/233)

﴾11﴿ उस वक़्त अगर किसी वज्ह से सज्दा न कर सके तो तिलावत करने वाले और सामेअ (यानी सुनने वाले) को येह कह लेना मुस्तहब है : ﴿ سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ٭ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَیْكَ الْمَصِیْرُ ﴾ (پ3، البقرۃ:285) तर्जमा : "हम ने सुना और माना, तेरी मुआफ़ी हो ऐ रब हमारे और तेरी ही त़रफ़ फिरना है।"

(बहारे शरीअत, 1/733, हिस़्सा : 4) (ردالمحتار، 2/703)

﴾12﴿ पूरी सूरत पढ़ना और आयते सज्दा छोड़ देना मकरूहे तह़रीमी है और सिर्फ़ आयते सज्दा के पढ़ने में कराहत नहीं, मगर बेहतर येह है कि दो एक आयत पहले या बाद की मिला ले। (درمختار، 2/717)

﴾13﴿ इमाम ने आयते सज्दा पढ़ी और सज्दा नहीं किया तो मुक़्तदी भी सज्दा न करे बल्कि इमाम की पैरवी करे। (बहारे शरीअत, 1/729, हिस़्सा : 4)

﴾14﴿ औरत ने नमाज़ में आयते सज्दा पढ़ी, लेकिन सज्दा करने से पहले नमाज़ में ह़ैज़ आ गया तो नमाज़ टूट गई और सज्दए तिलावत मुआफ़ हो गया।

(बहारे शरीअत, 1/730, हिस़्सा : 4)

﴾15﴿ आयत के हिज्जे करने या हिज्जे सुनने से सज्दा वाजिब नहीं होगा, क्यूंकि एक एक ह़र्फ़ कर के पढ़ना, सुनना, क़ुरआन पढ़ना, सुनना नहीं कहलाता।

(बहारे शरीअत, 1/730, हिस़्सा : 4)

﴾16﴿ इसी त़रह़ अगर किसी परिन्दे मसलन त़ोत़े ने आयते सज्दा पढ़ी तो सुनने वाले पर सज्दा वाजिब नहीं होगा। (बहारे शरीअत, 1 / 730, हिस़्सा : 4)

﴾17﴿ यूंही अगर एक शख़्स ने आयते सज्दा पढ़ी और उस की आवाज़ खुली जगह जैसा कि जंगल वग़ैरा में गूंजने लगी या पहाड़ वग़ैरा किसी चीज़ से टकरा कर गूंजने लगी और उस गूंज में आयते सज्दा के अल्फ़ाज़ बिल्कुल दुरुस्त सुनाई दिये तो भी सुनने वाले पर सज्दए तिलावत वाजिब नहीं होगा।

(बहारे शरीअत, 1/730, हिस़्सा : 4)

﴾18﴿ अगर सज्दे से पहले या बाद में खड़ा न हुवा या सज्दे में जाने के लिये तक्बीर यानी اَللّٰهُ اَكْبَر न कहा या सज्दे में तस्बीह़ नहीं पढ़ी तो भी सज्दा अदा हो जाएगा लेकिन तक्बीर छोड़नी नहीं चाहिये क्यूंकि ऐसा करना बुज़ुर्गाने दीन (رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِم) के त़रीक़े के ख़िलाफ़ है। (बहारे शरीअत, 1/731, ह़िस्सा : 4)

﴾19﴿ अकेला शख़्स सज्दा करे तो तक्बीर इतनी आवाज़ से कहना सुन्नत है कि अपने कानों से सुन ले और अगर दूसरे लोग भी इस के साथ सज्दा करें तो तक्बीर इतनी आवाज़ से कहना मुस्तह़ब है कि वोह भी सुनें। (बहारे शरीअत, 1/732, ह़िस्सा : 4)

﴾20﴿ नमाज़ में आयते सज्दा पढ़ी तो उस का सज्दा उसी नमाज़ में फ़ौरन करना वाजिब है, देर करेगा तो गुनहगार होगा। देर करने से मुराद आयते सज्दा के बाद तीन आयात से ज़ियादा पढ़ लेना है, उस से कम पढ़ा तो उसे सज्दे में देर करना नहीं कहेंगे। अलबत्ता अगर सज्दे के अल्फ़ाज़ सूरत के आख़िर में हों जैसे पारह 30 की सूरतुल इन्शिक़ाक़ में तो अगर इस के बाद की चार आयतें भी मुकम्मल पढ़ कर सज्दा किया तो कोई ह़रज नहीं। (बहारे शरीअत, 1/733, ह़िस्सा : 4)

﴾21﴿ अगर नमाज़ में सज्दए तिलावत करना भूल गया और सलाम फेर लिया तो जब तक ह़ुर्मते नमाज़ में हो यानी जो काम नमाज़ के ख़िलाफ़ हैं, उन में से कोई काम अभी तक न किया हो तो याद आते ही सज्दए तिलावत कर ले और उस के बाद सज्दए सहव कर के अत्तह़िय्यात दोबारा पढ़ कर दोबारा नमाज़ का सलाम फेरे। (बहारे शरीअत, 1/733, ह़िस्सा : 4)

﴾22﴿ अगर आयते सज्दा के बाद तीन आयात से ज़ियादा पढ़ने से पहले रुकूअ कर के नमाज़ का सज्दा कर लिया तो उस सज्दे से सज्दए तिलावत भी अदा हो जाएगा अगर्चे सज्दए तिलावत की निय्यत न की हो।

(बहारे शरीअत, 1/733, ह़िस्सा : 4)

﴾23﴿ आयते सज्दा सूरत के दरमियान में हो तो अफ़्ज़ल येह है कि आगे की आयात पढ़ने से पहले सज्दए तिलावत अदा करे फिर आगे की आयतें पढ़ कर रुकूअ करे। ❀ अलबत्ता अगर आयते सज्दा पढ़ने के फ़ौरन बाद सज्दए तिलावत से पहले रुकूअ कर लिया और उस रुकूअ में सज्दए तिलावत की भी निय्यत कर ली तो उस रुकूअ से सज्दए तिलावत भी अदा हो जाएगा। लेकिन अगर सज्दए तिलावत भी नहीं किया और फ़ौरन रुकूअ भी नहीं किया, बल्कि आगे की आयतें पढ़ कर सूरत ख़त्म की तो अब रुकूअ में सज्दए तिलावत की निय्यत नहीं कर सकता, बल्कि अब सज्दा करना ही ज़रूरी है लिहाज़ा जब तक नमाज़ में हो सज्दए तिलावत कर ले। (बहारे शरीअत, 1/734, हिस्सा : 4)

﴾24﴿ अगर सज्दे वाली आयत के बाद इस सूरत की दो तीन आयतें बाक़ी हों तो इख़्तियार है कि चाहे आयते सज्दा पढ़ते ही फ़ौरन सज्दए तिलावत कर ले फिर बाक़ी आयतें पढ़े या चाहे फ़ौरन रुकूअ और फिर नमाज़ का सज्दा कर ले। इसी त़रह़ येह इख़्तियार भी है कि पहले बाक़ी आयतें पढ़ ले, फिर रुकूअ और नमाज़ का सज्दा कर ले (क्यूंकि उन दोनों सूरतों में नमाज़ के सज्दे से ख़ुद ही सज्दए तिलावत भी अदा हो जाएगा) या चाहे तो रुकूअ के बजाए सज्दए तिलावत करे फिर उठने के बाद दूसरी सूरत की कुछ आयतें पढ़ कर रुकूअ करे।

(बहारे शरीअत, 1/734, हिस्सा : 4)

﴾25﴿ रुकूअ में जाते वक़्त उस रुकूअ से सज्दए तिलावत भी अदा हो जाने की निय्यत नहीं की बल्कि रुकूअ में पहुंचने के बाद या रुकूअ से उठने के बाद निय्यत की तो उस रुकूअ से सज्दए तिलावत अदा नहीं होगा बल्कि अब सज्दए तिलावत ही करना लाज़िह होगा। (बहारे शरीअत, 1/734, हिस्सा : 4)

﴾26﴿ जहरी (यानी बुलन्द आवाज़ से क़िराअत वाली) नमाज़ में इमाम ने आयते सज्दा पढ़ी तो सज्दा करना औला (यानी बेहतर) है ताकि मुक़्तदी भी सज्दा कर लें

और सिर्री (यानी आहिस्ता आवाज़ से क़िराअत वाली) नमाज़ में बेहतर येह है कि इमाम सज्दा न करे ताकि मुक़्तदियों को ग़लत़ फ़हमी न हो बल्कि आयते सज्दा पढ़ने के बाद सज्दए तिलावत की निय्यत शामिल किये बग़ैर फ़ौरन रुकूअ और फिर नमाज़ का सज्दा कर ले, ताकि इस त़रीक़े से मुक़्तदियों का भी सज्दए तिलावत अदा हो जाए। (बहारे शरीअत, 1/735, ह़िस्सा : 4)

﴾27﴿ इमाम ने सज्दए तिलावत किया और मुक़्तदी रुकूअ समझ कर रुकूअ में चले गए तो हुक्म येह है कि रुकूअ मुकम्मल किये बग़ैर फ़ौरन सज्दे में चले जाएं और एक ही सज्दा करें लेकिन अगर किसी मुक़्तदी ने रुकूअ और दो सज्दे कर लिये तो उस की नमाज़ टूट जाएगी। (बहारे शरीअत, 1/735, ह़िस्सा : 4)

﴾28﴿ नमाज़ी सज्दए तिलावत भूल गया और रुकूअ या सज्दे या क़ादे में याद आया तो उसी वक़्त सज्दा कर ले। फिर सज्दए तिलावत से पहले जिस रुक्न में था, उसे दोबारा अदा करे और अगर दोबारा अदा नहीं किया जब भी नमाज़ हो जाएगी। (बहारे शरीअत, 1/735, ह़िस्सा : 4) लेकिन अगर नमाज़ के आख़िरी क़ादे में था और तब सज्दए तिलावत अदा किया तो क़ादा दोबारा करना फ़र्ज़ होगा क्यूंकि सज्दा करने से क़ादा बात़िल हो जाता है।

﴾29﴿ एक मजलिस में सज्दे की एक आयत को बार बार पढ़ा या सुना तो एक ही सज्दा वाजिब होगा अगर्चे चन्द शख़्सों से सुना हो यूंही अगर आयत पढ़ी और वोही आयत दूसरे से सुनी जब भी एक ही सज्दा वाजिब होगा। (در مختار و رد المحتار، 2/712)

﴾30﴿ मजलिस एक होने और बदल जाने की तफ़्सील येह है कि आयत पढ़ने के बाद एक दो लुक़्मे खाने, एक दो घूंट पीने, बैठा था तो खड़ा हो जाने या एक दो क़दम चलने, सलाम का जवाब देने, एक दो बात करने, मकान के एक किनारे से दूसरे किनारे की त़रफ़ चले जाने से मजलिस नहीं बदलेगी। अलबत्ता अगर मकान

बड़ा हो जैसे शाही मह़ल तो ऐसे मकान में एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने से मजलिस बदल जाएगी। कश्ती में हो और कश्ती चल रही हो तो मजलिस नहीं बदलेगी, रेल का भी येही हुक्म होना चाहिये। जानवर वग़ैरा पर सुवार है और वोह चल रहा है तो मजलिस बदलती रहेगी, अलबत्ता अगर जानवर या सुवारी पर नमाज़ पढ़ रहा है तो मजलिस नहीं बदलेगी बल्कि एक नमाज़ के दौरान मजलिस एक ही रहेगी। तीन लुक़्मे खाने, तीन घूंट पीने, तीन कलिमे बोलने (यानी तीन बातें करने), मैदान में तीन क़दम चलने, निकाह़ या ख़रीदो फ़रोख़्त करने, लेट कर सो जाने से मजलिस बदल जाएगी। (बहारे शरीअत, 1/736, ह़िस्सा : 4)

﴾31﴿ आयते सज्दा पढ़ने वाले ने कई मजलिसों में एक ही आयत बार बार पढ़ी लेकिन सुनने वाले ने हर बार एक ही मजलिस में सुनी तो पढ़ने वाला जितनी मजलिसों में पढ़ेगा उस पर उतने ही सज्दे वाजिब होंगे और सुनने वाले पर एक सज्दा वाजिब होगा और अगर उस का उलट हुवा यानी पढ़ने वाला एक मजलिस में बार बार पढ़ता रहा और सुनने वाले ने मुख़्तलिफ़ मजलिसों में सुनी तो पढ़ने वाले पर एक सज्दा वाजिब होगा और सुनने वाले पर उतने जितनी मजलिसों में सुना। (बहारे शरीअत, 1/735, ह़िस्सा : 4)

﴾32﴿ मजलिस में आयत पढ़ी या सुनी और सज्दा कर लिया फिर उसी मजलिस में वोही आयत पढ़ी या सुनी तो वोही पहला सज्दा काफ़ी है।

(बहारे शरीअत, 1/735, ह़िस्सा : 4)

﴾33﴿ एक मजलिस में एक ही आयते सज्दा चन्द बार पढ़ी या सुनी तो आख़िर में एक ही सज्दा करे, उस के बजाए जितनी बार वोह आयत पढ़ी थी इतनी ही बार सज्दा करना मुस्तह़ब के ख़िलाफ़ है। अलबत्ता दुरूद शरीफ़ का मस्अला उस से अलग है, वोह येह कि अगर एक मजलिस में नबिय्ये पाक صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का

नामे अक़्दस बार बार लिया या बार बार सुना तो दुरूद शरीफ़ एक बार वाजिब और बार बार पढ़ना मुस्तहब है। (बहारे शरीअत, 1/736, हिस्सा : 4)

﴾34﴿ एक जगह देर तक बैठने या क़ुरआन, तस्बीह़ या कलिमा पढ़ने या दर्सो बयान में मसरूफ़ होने से मजलिस नहीं बदलेगी। अलबत्ता अगर उस दौरान बीच में कोई दुन्या का काम मसलन कपड़ा सीना वग़ैरा किया तो मजलिस बदल जाएगी। (ردالمحتار، 2/716، बहारे शरीअत, 1/737, हिस्सा : 4)

﴾35﴿ एक रकअत में बार बार एक ही आयते सज्दा पढ़ी तो एक ही सज्दा काफ़ी है, ख़्वाह चन्द बार आयत पढ़ने के बाद एक सज्दा किया या एक बार पढ़ कर सज्दा कर लिया और उस के बाद फिर वोही आयत बार बार पढ़ी। इसी त़रह़ अगर एक नमाज़ (यानी सलाम फेरने से पहले तक) की मुख़्तलिफ़ रकअतों में एक ही आयते सज्दा पढ़ी तो भी एक सज्दा काफ़ी है। (बहारे शरीअत, 1/737, हिस्सा : 4)

﴾36﴿ नमाज़ में आयते सज्दा पढ़ी और सज्दा कर लिया फिर सलाम के बाद उसी मजलिस में वोही आयत दोबारा पढ़ी तो अगर सलाम फेरने के बाद नमाज़ के ख़िलाफ़ कोई काम जैसा कि किसी से बात नहीं की थी तो वोही नमाज़ वाला सज्दा उस के भी क़ाइम मक़ाम है दोबारा सज्दा वाजिब नहीं लेकिन अगर दूसरे से बात कर ली थी तो दोबारा सज्दा करे और अगर नमाज़ में आयते सज्दा पढ़ने के बाद सज्दा नहीं किया था फिर सलाम फेरने के बाद पढ़ी तो एक सज्दा करे, नमाज़ वाला सज्दा मुआफ़ हो गया। (बहारे शरीअत, 1/737, हिस्सा : 4)

﴾37﴿ नमाज़ के इलावा आयते सज्दा पढ़ी और इस का सज्दा कर के नमाज़ शुरूअ की और फिर नमाज़ में भी वोही आयते सज्दा पढ़ी तो उस के लिये दोबारा सज्दा करे और अगर नमाज़ से पहले सज्दए तिलावत नहीं किया था तो येह नमाज़ में किया हुवा सज्दा उस पहले वाले सज्दे के भी क़ाइम मक़ाम हो जाएगा लेकिन

उस के लिये येह शर्त है कि नमाज़ से पहले आयते सज्दा पढ़ने और नमाज़ शुरूअ करने के दरमियान नमाज़ के ख़िलाफ़ कोई काम न किया हो। नीज़ अगर नमाज़ से पहले भी सज्दए तिलावत नहीं किया और नमाज़ में भी नहीं किया और नमाज़ मुकम्मल कर ली तो अब येह दोनों सज्दे अदा नहीं हो सकते और ऐसा करने वाला गुनहगार भी होगा लिहाज़ा तौबा करे। (बहारे शरीअत, 1/737, हिस्सा : 4)

﴾38﴿ एक मजलिस में सज्दए तिलावत की मुख़्तलिफ़ आयतें पढ़ीं तो हर आयत के बदले में अलग अलग सज्दा वाजिब होगा। (बहारे शरीअत, 1/737, हिस्सा : 4)

﴾39﴿ मिम्बर पर आयते सज्दा पढ़ी तो ख़ुद उस पर और सुनने वालों पर सज्दा वाजिब है और जिन्हों ने नहीं सुनी उन पर वाजिब नहीं।

(बहारे शरीअत, 1/738, हिस्सा : 4)

﴾40﴿ किसी सबो वज्ह के बग़ैर किया जाने वाला सज्दा जैसा कि अक्सर अवाम नमाज़ पढ़ने के बाद बिला वज्ह सज्दा करते हैं, न सवाब है, न मकरूह है। अलबत्ता अगर उसे सुन्नत या वाजिब समझ कर करें तो मकरूह होगा।

(बहारे शरीअत, 1/739, हिस्सा : 4)

﴾41﴿ जुमुआ व ईदैन व सिर्री (यानी आहिस्ता क़िराअत वाली) नमाज़ों में और जिस नमाज़ की जमाअत में लोगों की बहुत बड़ी तादाद शामिल हो, ऐसी नमाज़ में इमाम को आयते सज्दा पढ़ना मकरूह है। हां अगर आयते सज्दा के फ़ौरन बाद रुकूअ कर ले और रुकूअ में सज्दए तिलावत की निय्यत न करे तो मकरूह नहीं क्यूंकि इस सूरत में नमाज़ के सज्दे से इमाम और मुक़्तदियों सब का सज्दए तिलावत अदा हो जाएगा। (बहारे शरीअत, 1/738, हिस्सा : 4)

﴾42﴿ ज़मीन पर आयते सज्दा पढ़ी तो उस का सज्दा सुवारी पर नहीं कर सकता, अलबत्ता अगर किसी के ख़ौफ़ की वज्ह से सज्दा करने से पहले सुवारी पर सुवार

हो गया तो ऐसी ह़ालत में वोह सज्दा सुवारी पर कर सकता है। इसी त़रह़ अगर आयते सज्दा सुवारी ही पर पढ़ी हो तो उस का सज्दा भी सफ़र की ह़ालत में सुवारी पर कर सकता है। (बहारे शरीअत, 1/738, ह़िस्सा : 4)

﴾43﴿ बीमारी की वज्ह से सज्दे की त़ाक़त न हो और इशारे से सज्दए तिलावत करे तो सज्दा अदा हो जाएगा। इसी त़रह़ सफ़र में सुवारी पर बैठे हुए आयते सज्दा पढ़ी तो उसी पर बैठे हुए इशारे से सज्दा करने से भी सज्दा अदा हो जाएगा।

(बहारे शरीअत, 1/738, ह़िस्सा : 4)

﴾44﴿ एक शख़्स ने आयते सज्दा पढ़ी लेकिन क़रीब मौजूद दूसरे शख़्स ने काम में मसरूफ़ होने की वज्ह से आयत नहीं सुनी तो ज़ियादा सह़ीह़ येह है कि उस पर सज्दा वाजिब नहीं। अलबत्ता कई उलमा फ़रमाते हैं कि अगर्चे उस ने आयत नहीं सुनी, बहरह़ाल उस पर सज्दा वाजिब है। (बहारे शरीअत, 1/738, ह़िस्सा : 4)

﴾45﴿ त़ालिबे इल्म अगर आयते सज्दा पढ़ रहा है और मुअल्लिम सुन रहा है या मुअल्लिम पढ़ा रहा है और त़ालिबे इल्म पढ़ रहा है और दोनों ना बालिग़ हैं तो दोनों पर सज्दए तिलावत वाजिब नहीं होगा मगर कर लेना बेहतर है। और अगर उन में से एक बालिग़ है तो सिर्फ़ बालिग़ पर वाजिब होगा ख़्वाह आयते सज्दा वोह ख़ुद पढ़े या किसी से सुने और अगर दोनों बालिग़ हैं तो पढ़ने और सुनने वाले दोनों पर सज्दा करना वाजिब होगा। (फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल, 1/391)

﴾46﴿ ह़ाइज़ा औरत क़ुरआने मजीद की तिलावत सुन सकती है, मुमानअत सिर्फ़ क़ुरआने मजीद पढ़ने या इस को बिला ह़ाइल छूने की है, सुनने की कहीं मुमानअत नहीं है। नीज़ ह़ाइज़ा औरत ने अगर आयते सज्दा सुनी तो उस पर सज्दए तिलावत वाजिब नहीं होता क्यूंकि आयते सज्दा पढ़ने या सुनने वाले पर सज्दा उस वक़्त वाजिब होता है जब कि वोह वुजूबे नमाज़ का अहल हो और ह़ाइज़ा औरत वुजूबे

नमाज़ की अहलिय्यत नहीं रखती यानी उस पर न इन अय्याम में नमाज़ फ़र्ज़ होती है और न ही बाद में क़ज़ा लाज़िम होती है। "बहारे शरीअत" में सदरुश्शरीआ मुफ़्ती अमजद अली आज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : हैज़ व निफ़ास वाली औरत को क़ुरआने मजीद पढ़ना देख कर, या ज़बानी और उस का छूना अगर्चे उस की जिल्द या चोली या हाशिया को हाथ या उंगली की नोक या बदन का कोई हिस्सा लगे येह सब हराम हैं।

(बहारे शरीअत, 1/379, हिस्सा :2। मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 31)

﴾47﴿ नमाज़ में आयते सज्दा पढ़ी और सज्दा किया, फिर नमाज़ ही में वुज़ू टूट गया और वुज़ू कर के बिना की (यानी जहां से नमाज़ टूटी थी, वहीं से दोबारा शुरूअ की, जब कि बिना की तमाम शराइत पर अमल भी किया हो), फिर दोबारा वोही आयते सज्दा पढ़ी तो दोबारा सज्दा वाजिब नहीं। अलबत्ता अगर बिना के बाद उसी नमाज़ में किसी दूसरे शख़्स से वोही आयत सुनी तो दूसरा सज्दा वाजिब हो जाएगा, लेकिन येह दूसरा सज्दा नमाज़ में नहीं कर सकता बल्कि नमाज़ के बाद करना होगा। (बहारे शरीअत, 1/737, हिस्सा : 4)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

सब को पता चल गया कि वोह तिलावत कर रहे हैं (वाक़िआ)

मरवी है कि एक बुज़ुर्ग चन्द लोगों में बैठे हुए दिल ही दिल में क़ुरआने करीम की तिलावत कर रहे थे ताकि उन का येह नेक अमल किसी को पता न चले कि अचानक जब आयते सज्दा पर पहुंचे तो उन्हों ने सब के सामने सज्दा किया जिस से सब को मालूम हो गया कि वोह क़ुरआने करीम की तिलावत कर रहे थे।

(क़ूतुल क़ुलूब (उर्दू, 1/448) (قوت القلوب، 1/165)

येह उन बुज़ुर्ग के इन्तिहाई तक़्वा का आलम था कि उन्हों ने गावारा न किया कि आयते सज्दा पढ़ें और बारगाहे ख़ुदावन्दी में सज्दा न करें हालांकि दिल

में आयते सज्दा पढ़ने से सज्दए तिलावत वाजिब नहीं होता जैसा कि बहारे शरीअत में है : आयते सज्दा पढ़ने या सुनने से सज्दा वाजिब हो जाता है, पढ़ने में येह शर्त़ है कि इतनी आवाज़ से हो कि अगर कोई उ़ज़्र न हो तो ख़ुद सुन सके, अगर इतनी आवाज़ से आयत पढ़ी कि सुन सकता था मगर शोरो ग़ुल या बहरे होने की वज्ह से न सुनी तो सज्दा वाजिब हो गया और अगर मह़ज़ होंट हिले आवाज़ पैदा न हुई तो वाजिब न हुवा। (बहारे शरीअत, 1/728, हिस्सा : 4)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

सज्दाए तिलावत के बारे में 13 सुवाल जवाब

सुवाल : अगर किसी बहरे ने आयते सज्दा तिलावत की तो क्या उस पर सज्दा वाजिब होगा ?

जवाब : अगर इतनी आवाज़ थी कि अगर वोह बहरा न होता तो सुन लेता तो सज्दा वाजिब हो गया वरना नहीं। फ़तावा आलमगीरी में है : अगर किसी बहरे ने आयते सज्दा तिलावत की और बहरा होने की वज्ह से न सुनी (यानी इतनी आवाज़ थी कि बहरा न होता तो सुन लेता) तो उस पर सज्दए तिलावत वाजिब हो जाएगा।

(फ़तावा हिन्दिय्या, 1/133)

क्या रिकार्ड शुदा तिलावत में आयते सज्दा सुनने से सज्दा वाजिब होगा ?

सुवाल : बस में इयरफ़ोन के ज़रीए रिकार्ड शुदा क़ुरआने पाक की तिलावत सुन रहे थे, उस में आयते सज्दा आ गई तो येह सज्दा सर को झुका लेने से अदा हो जाएगा ?

जवाब : रिकार्ड शुदा तिलावत में आयते सज्दा सुनने से सज्दा वाजिब नहीं होगा और सर झुकाने की कोई Formality करने की भी ह़ाजत नहीं है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/485)

चैनल पर आयते सज्दा सुनने का हुक्म

सुवाल : दावते इस्लामी के चैनल पर अगर Live आयते सज्दा सुनी तो क्या सज्दए तिलावत वाजिब हो जाएगी ?

जवाब : दावते इस्लामी के चैनल या किसी भी चैनल पर अगर Live (यानी बराहेरास्त) आयते सज्दा सुनी तो सज्दए तिलावत वाजिब नहीं होगा।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/491)

कई सज्दए तिलावत एक साथ अदा करने का त़रीक़ा

सुवाल : अगर किसी के कई सज्दए तिलावत रह गए हों तो उन को अदा करने का क्या त़रीक़ा है ?

जवाब : जितने सज्दे रह गए हैं वोह अदा करे, اَللّٰہُ اَکْبَرْ कह कर सज्दा करे, सज्दे में तीन बार سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی पढ़े। फिर बैठ जाए और दोबारा اَللّٰہُ اَکْبَرْ कह कर उसी त़रह़ करे, यूं जितने सज्दे हैं सब मुकम्मल कर ले। (फ़तावा हिन्दिय्या, 1/135) सज्दए तिलावत के लिये बा वुज़ू होना, क़िब्ला रुख़ होना और जगह का पाक होना ज़रूरी है। (درمختار وردالمحتار، 2/699)

जहरी नमाज़ों में "आयाते सज्दा" तिलावत करना कैसा ?

सुवाल : मैं इमामे मस्जिद हूं और जहरी नमाज़ों में तसल्सुल के साथ क़ुरआने पाक सुनाने की सआदत ह़ासिल कर रहा हूं। येह इरशाद फ़रमाइये कि जहां जहां सज्दए तिलावत आए वहां मुझे क्या करना चाहिये ?

जवाब : जहां सज्दए तिलावत आएगा वहां आप को सज्दा करना होगा, लेकिन आप चूंकि आम नमाज़ों में मुसल्सल क़ुरआने करीम पढ़ रहे हैं जिस की वज्ह से दरमियान में आयाते सज्दा आ रही हैं, जब कि अवाम सिर्फ़ तरावीह़ में सज्दए तिलावत करने की आदी है, इस लिये आम नमाज़ों में आप का सज्दए तिलावत

करना अवाम की समझ में नहीं आएगा। (अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ इरशाद फ़रमाते हैं :) मैं ने बहुत पहले एक क़िस्सा किसी आलिम साहिब से सुना था कि एक बे नमाज़ी शख़्स ईद की नमाज़ पढ़ने गया तो इत्तिफ़ाक़ से नमाज़ में कोई ऐसा मस्अला हो गया जिस की वज्ह से इमाम साहिब को सज्दए सह्व करना पड़ा, वोह बे नमाज़ी सज्दए सह्व देख कर चौंका और सोचने लगा कि "पता नहीं ! येह कौन सा फ़िर्क़ा है जो एक तरफ़ सलाम फेर कर फिर दो सज्दे करता है !!" इस लिये हमें अवाम के साथ चलना चाहिये। अलबत्ता सज्दए सह्व के अहकामात अपनी जगह बाक़ी रहेंगे। अगर आप आम नमाज़ों में आयते सज्दा आने के बाद सज्दए तिलावत करते हैं तो हो सकता है कि आप के मुस्तक़िल नमाज़ियों को येह बात मालूम हो लेकिन कोई अजनबी आएगा और येह मुआमला देखेगा तो उसे तअज्जुब होगा, इस लिये वोह काम किया जाए जो अवाम बरदाश्त कर सके और वोह परेशान न हो। तन्फ़ीरे अवाम से बचना ज़रूरी है, वरना अवाम मस्जिद से दूर हो जाएगी कि "इमाम को देखो, फ़र्ज़ नमाज़ों में सज्दे करवाता रहता है।" और अगर कभी सिर्री नमाज़ में आयते सज्दा तिलावत की और सज्दए तिलावत किया तो वोह और भी अजीब हो जाएगा। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 9/242)

सुवाल : क्या आयते सज्दा लिखने या देखने से सज्दा वाजिब होता है ?

जवाब : नहीं, आयते सज्दा लिखने या देखने से सज्दा वाजिब नहीं होता।

(حلبی کبیر، ص500)

सुवाल : कोई शख़्स अपनी नमाज़ पढ़ते हुए आयते सज्दा सुन ले तो क्या हुक्म है ?

जवाब : जो शख़्स नमाज़ में नहीं उस ने आयते सज्दा पढ़ी और नमाज़ी ने सुन ली तो नमाज़ के बाद सज्दा करे और अगर नमाज़ ही में सज्दा कर लिया तो काफ़ी न होगा बादे नमाज़ फिर करना होगा। (फ़तावा हिन्दिया, 1/133)

सुवाल : नाबालिग़ ने आयते सज्दा तिलावत की तो क्या उस पर सज्दा करना वाजिब होगा या नहीं ? नीज़ नाबालिग़ ने आयते सज्दा तिलावत की और बालिग़ ने सुनी तो क्या सुनने से बालिग़ पर सज्दए तिलावत वाजिब हो जाएगा या नहीं ?

जवाब : नाबालिग़ अह़कामे शरइय्या का मुकल्लफ़ नहीं, लिहाज़ा अगर वोह आयते सज्दा तिलावत करे या सुने तो उस पर सज्दए तिलावत वाजिब नहीं होगा, अलबत्ता अगर नाबालिग़ ने तिलावत की और आक़िल बालिग़ मुसलमान ने उस से आयते सज्दा की तिलावत सुनी तो सुनने वाले पर सज्दए तिलावत वाजिब हो जाएगी। (मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 72)

सुवाल : वोह क्या सूरत है कि आयते सज्दा सुनी और सज्दा किये बग़ैर उस का सज्दा हो गया ?

जवाब : अगर इमाम से आयत सुनी मगर इमाम के सज्दा करने के बाद उसी रक्अत में शामिल हुवा तो इमाम का सज्दा उस के लिये भी है और दूसरी रक्अत में शामिल हुवा तो नमाज़ के बाद सज्दा करे। (बहारे शरीअत, 1/728, ह़िस्सा : 4)

जवाब : नमाज़ में सज्दए तिलावत के बाद खड़े हो कर बग़ैर कुछ तिलावत किये रुकूअ करना कैसा ?

जवाब : ऐसी सूरत में सज्दा अदा तो हो जाएगा मगर ऐसा करना मकरूह है।

(फ़तावा रज़विय्या, 8/235 माख़ूज़न)

सुवाल : अगर किसी पर बहुत से सज्दए तिलावत हों और वोह उन्हें अदा किये बग़ैर मर जाए या अदा करने से आजिज़ हो जाए तो उस की सुबुकदोशी की क्या सूरत होगी ?

जवाब : शरीअत में सज्दए तिलावत का कोई बदल या फ़िदया नहीं है इसी लिये जो अदा न कर सका उस पर मरते वक़्त इस बारे में कोई वसिय्यत करना लाज़िम

नहीं। या तो अदा कर ले और अदा करने से आजिज़ हो तो तौबा करे। उस के इलावा कोई सूरत नहीं। (फ़तावा रज़विय्या, 8/238 माख़ूज़न)

ह़ाफ़िज़ सज्दए तिलावत बताना भूल जाए तो ?

सुवाल : ह़ाफ़िज़ सज्दए तिलावत बताना भूल जाए तो क्या करे ?

जवाब : क़ुरआने पाक में 14 आयाते सज्दा हैं। दौराने तरावीह़ जब कोई आयते सज्दा आती है तो हुफ़्फ़ाज़े किराम पहले बता देते हैं कि फ़ूलां रकअत में आयते सज्दा है। बसा अवकात हुफ़्फ़ाज़े किराम बताना भूल जाते हैं और नमाज़ शुरूअ कर देते हैं, अब जब आयते सज्दा पर पहुंचते हैं तो शशो पंज में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें ? बाज़ हुफ़्फ़ाज़ तो आयते सज्दा पढ़ते ही रुकूअ में चले जाते हैं, अगर येह दूसरी रक्अत हो तो ठीक वरना दूसरी रक्अत में किसी और मक़ाम से चन्द आयात पढ़ कर उसे पूरा करते हैं। कुछ हुफ़्फ़ाज़ आयते सज्दा पढ़ कर सज्दे में चले जाते हैं, मुक़्तदियों को मालूम न होने की वज्ह से कुछ रुकूअ में होते हैं तो कुछ सज्दे में, एक अजीब सा माह़ौल बन जाता है, ह़ाफ़िज़ साह़िब को भी नदामत होने लगती है। ऐसी सूरतेह़ाल में ह़ाफ़िज़ साह़िब को चाहिये कि वोह आयते सज्दा पढ़ कर फ़ौरन नमाज़ का रुकूअ कर लें और उस रुकूअ से सज्दए तिलावत की निय्यत हरगिज़ न करें, फिर क़ौमा के बाद सज्दा करें और उस में सज्दए तिलावत की निय्यत करें, अब इस सज्दे से सज्दए नमाज़ भी अदा हो जाएगा और सज्दए तिलावत भी और मुक़्तदियों ने सज्दए तिलावत की निय्यत न की तो भी उन का सज्दए तिलावत अदा हो जाएगा।

(तरावीह़ के फ़ज़ाइलो मसाइल, स. 32)

सुवाल : किस सूरत में आयते सज्दा पढ़े और सुने बग़ैर सज्दए तिलावत वाजिब हो जाता है ?

जवाब : इमाम ने (सिर्री नमाज़ में) आयते सज्दा पढ़ी तो उस सूरत में अगर्चे मुक़्तदी ने आयते सज्दा न पढ़ी और न सुनी मगर इमाम के साथ उस पर भी सज्दए तिलावत करना वाजिब है। (फ़तावा हिन्दिया, 1/133)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

मक़्सद में कामयाबी के लिये

(हनफ़ियों के नज़दीक क़ुरआने पाक में सज्दे की 14 आयतें हैं) जिस मक़्सद के लिये एक मजलिस में सज्दा की सब (यानी 14) आयतें पढ़ कर सज्दे करे **अल्लाह** पाक उस का मक़्सद पूरा फ़रमा देगा। ख़्वाह एक एक आयत पढ़ कर उस का सज्दा करता जाए या सब को पढ़ कर आख़िर में 14 सज्दे कर ले।

(बहारे शरीअत, 1/728, हिस्सा : 4 मुलख़्ख़सन)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

14 आयाते सज्दा

(1) ﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ۩ ﴾
(پ9، الاعراف:206)

(2) ﴿ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۩ ﴾
(پ13، الرعد:15)

(3) ﴿ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴾
(پ14، النحل:49)

(4) ﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۙ وَّيَقُوْلُوْنَ
سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۩ ﴾
(پ15، بنی اسرائیل:107، 108، 109)

(5) ﴿ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ۩ ﴾ (پ16، مریم:58)

(6) ﴿ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ
وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ
مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ (پ17، الحج:18)

(7) ﴿ وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمُ اسۡجُدُوۡا لِلرَّحۡمٰنِ قَالُوۡا وَمَا الرَّحۡمٰنُ ٭ اَنَسۡجُدُ لِمَا تَاۡمُرُنَا وَزَادَهُمۡ نُفُوۡرًا ۩ ﴿٦٠﴾ ﴾
(پ19، الفرقان:60)

(8) ﴿ اَلَّا يَسۡجُدُوۡا لِلّٰهِ الَّذِىۡ يُخۡرِجُ الۡخَبۡءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَيَعۡلَمُ مَا تُخۡفُوۡنَ وَمَا
تُعۡلِنُوۡنَ ﴿٢٥﴾ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِيۡمِ ۩ ﴿٢٦﴾ ﴾ (پ19، النمل:25،26)

(9) ﴿ اِنَّمَا يُؤۡمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيۡنَ اِذَا ذُكِّرُوۡا بِهَا خَرُّوۡا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوۡا بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَهُمۡ لَا
يَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ۩ ﴿١٥﴾ ﴾ (پ21، السجدة:15)

(10) ﴿ فَاسۡتَغۡفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرۡنَا لَهٗ ذٰلِكَ ؕ وَاِنَّ لَهٗ عِنۡدَنَا لَزُلۡفٰى وَحُسۡنَ
مَاٰبٍ ﴿٢٥﴾ ﴾ (پ23، ص:24،25)

(11) ﴿ وَمِنۡ اٰيٰتِهِ الَّيۡلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمۡسُ وَالۡقَمَرُ ؕ لَا تَسۡجُدُوۡا لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَاسۡجُدُوۡا لِلّٰهِ
الَّذِىۡ خَلَقَهُنَّ اِنۡ كُنۡتُمۡ اِيَّاهُ تَعۡبُدُوۡنَ ﴿٣٧﴾ فَاِنِ اسۡتَكۡبَرُوۡا فَالَّذِيۡنَ عِنۡدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوۡنَ لَهٗ بِالَّيۡلِ
وَالنَّهَارِ وَهُمۡ لَا يَسۡـَٔمُوۡنَ ۩ ﴿٣٨﴾ ﴾ (پ24، حٰمٓ السجدة:37،38)

(12) ﴿ فَاسۡجُدُوۡا لِلّٰهِ وَاعۡبُدُوۡا ۩ ﴿٦٢﴾ ﴾ (پ27، النجم:62)

(13) ﴿ فَمَا لَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿٢٠﴾ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيۡهِمُ الۡقُرۡاٰنُ لَا يَسۡجُدُوۡنَ ۩ ﴿٢١﴾ ﴾ (پ30، الانشقاق:20،21)

(14) ﴿ وَاسۡجُدۡ وَاقۡتَرِبۡ ۩ ﴿١٩﴾ ﴾ (پ30، العلق:19)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

येह रिसाला पढ़ कर दूसरे को दे दीजिये

शादी ग़मी की तक़रीबात, इज्तिमाआत, आरास और जुलूसे मीलाद वग़ैरा में मकतबतुल मदीना के शाएअ कर्दा रसाइल और मदनी फूलों पर मुश्तमिल पैम्फ़लेट तक़्सीम कर के सवाब कमाइये, गाहकों को ब निय्यते सवाब तोहफ़े में देने के लिये अपनी दुकानों पर भी रसाइल रखने का मामूल बनाइये, अख़बार फ़रोशों या बच्चों के ज़रीए अपने महल्ले के घर घर में माहाना कम अज़ कम एक अदद सुन्नतों भरा रिसाला या मदनी फूलों का पैम्फ़लेट पहुंचा कर नेकी की दावत की धूमें मचाइये और ख़ूब सवाब कमाइये।

अगले हफ़्ते का रिसाला

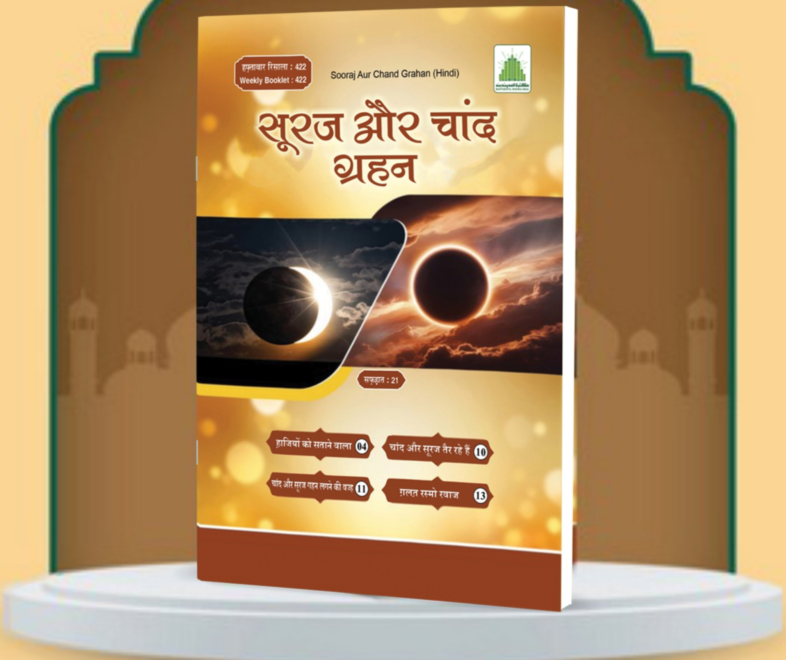

DAWATEISLAMI INDIA
FGN Channel Dekhte Rahiye
MAKTABATUL MADINA INDIA

Delhi : 421, Urdu Market, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-110006 +91-8178862570

Mumbai : 19/20, Mohammad Ali Road, Opp. Mandavi Post Office, Mumbai-400003 +91-9320558372

Ahmedabad : Faizane Madina, Tinkonia Bagicha, Mirzapur, Ahmedabad-380001 +91-9327168200

Nagpur : Opp. Garib Nawaz Masjid, Saifi Nagar Road, Mominpura, Nagpur-440018 +91-9326310099

www.maktabatulmadina.in feedbackmmhind@gmail.com

For Home Delivery of Books Please Contact on (T&C Apply) +91-9978626025